न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 37 / 2022 दायरा दिनांक : 29.03.2022

उनवान

1– बनारसी बाई पत्नी स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

2– अरविन्द पुत्र स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

3– मुकेश पुत्र स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

4– नरेश पुत्र स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

5– राजू उर्फ राजकुमार पुत्र स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

6– संतोष पुत्री स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

7– राजेश उर्फ राजी पुत्री देवकरण, जाति मीणा

8– रामरतन पुत्र छीतरलाल, जाति मीणा

निवासीगण गजनपुरा, तहसील बारां, जिला बांरां

.... अपीलांट

बनाम

1– शिमलाबाई पुत्री राधेश्याम पत्नी राजाराम तथाकथित पत्नी रामरतन, जाति मीणा, निवासी हिंगोनिया हाल निवासी नीमखेड़ी, ग्राम व पोस्ट माल्याखेड़ी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2– रेखा उर्फ लक्ष्मी पुत्री रामरतन, जाति मीणा नाबालिग जर्ये वली माता शिमलाबाई निवासी नीमखेड़ी ग्राम व पोस्ट माल्याखेड़ी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3— कांतिबाई पुत्री छीतरलाल पत्नी गिर्राज, जाति मीणा, निवासी नवलपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— मनभर पुत्री छीतरलाल पत्नी लेखराज, जाति मीणा, निवासी जलोदा खातियान, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 38 / 2022 **दायरा दिनांक : 29.03.2022**

उनवान

1— बनारसी बाई पत्नी स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

2— अरविन्द पुत्र स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

3— मुकेश पुत्र स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

4— नरेश पुत्र स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

5— राजू उर्फ राजकुमार पुत्र स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

6— संतोष पुत्री स्वर्गीय देवकरण, जाति मीणा

7— राजेश उर्फ राजी पुत्री देवकरण, जाति मीणा

8— रामरतन पुत्र छीतरलाल, जाति मीणा

निवासीगण गजनपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— शिमलाबाई पुत्री राधेश्याम पत्नी राजाराम तथाकथित पत्नी रामरतन, जाति मीणा, निवासी हिंगोनिया होल निवासी नीमखेड़ी, ग्राम व पोस्ट माल्याखेड़ी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2– रेखा उर्फ लक्ष्मी पुत्री रामरतन, जाति मीणा नाबालिग जर्ये वली माता शिमलाबाई निवासी नीमखेड़ी ग्राम व पोस्ट माल्याखेड़ी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– कांतिबाई पुत्री छीतरलाल पत्नी गिर्राज, जाति मीणा, निवासी नवलपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– मनभर पुत्री छीतरलाल पत्नी लेखराज, जाति मीणा, निवासी जलोदा खातियान, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री प्रदीप मेहरा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम प्रजापति अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 तथा श्री जगदीश मेघवाल/निशित सिनोट अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3 व 4 की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.12.2021 व अंतिम डिक्री दिनांक 20.01.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बारां जिससे वाद संख्या – 144/2014/दावा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91 व 188 स्वीकार किया गया।

निर्णय दिनांक : 17.07.2023

1– ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2– यह दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 144/2014/दावा निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.12.2021 व अंतिम डिक्री दिनांक 20.01.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

3– दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वादी क्रम 1 व 2 प्रतिवादी क्रम 3 की विवाहिता पत्नी एवं पुत्री हैं, वादिनी की शादी प्रतिवादी क्रम 2 से 15 वर्ष पूर्व हुई थी तथा प्रतिवादी क्रम 3 के नुत्फे से वादिनी क्रम 2 पैदा हुई, जो उसकी माता वादिनी क्रम 1 के साथ रहकर परवरिश पा रही है एवं वादी क्रम 2 का हित वादनी क्रम 1 के विपरीत नहीं है तथा वादीगण का पिता प्रतिवादी क्रम 2 मन्दबुद्धि है। इसलिए वादी क्रम 2 जो नाबालिग है उसकी माता को वली/वादमित्र बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

4– प्रतिवादी क्रम 1 मृतक देवकरण वादी क्रम 1 के जेठ थे जिनका देहान्त कुछ अर्सा पूर्व हो चुका है तथा 1/1 लगायत 1/7 तक मृतक देवकरण के वारिसान है, तथा प्रतिवादी क्रम 2 वादीगण का पति/पिता है, प्रतिवादी क्रम 3 व 4 देवकरण की बहिन, छीतरलाल की पुत्रियां हैं। उक्त सभी प्रतिवादीगण छीतरलाल के कायम मुकामान एवं वारिसान हैं। छीतर लाल का देहान्त भी देवकरण की मृत्यु से 5 वर्ष पूर्व हो चुका था।

5– ग्राम गजनपुरा में छीतरलाल पुत्र रंगलाल, जाति मीणा, निवासी गजनपुरा के नाम खाता संख्या 47 जमाबंदी संवत 2066–2069 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 47

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 515 रकबा 2.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 556 रकबा 1.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 627 रकबा 3.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.51 हेक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 9.95 हेक्टर भूमि दर्ज है।

6– छीतरलाल की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र देवकरण व रामरतन ने उनके खाते की आराजी को 1/2 हिस्से में पृथक–पृथक पारिवारिक बंटवारा कर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया था तथा कुछ अर्से तक पृथक–पृथक काश्त भी वादिनी क्रम 1 ने गांव में रहकर अपने पति के साथ मिलकर की है, परन्तु वादनी का पति मंदबुद्धि है, इस कारण से वह वादनी को मारता पीटता था इसलिए उसके परिवार के अन्य सदस्यगण भी शामिल हो जाया करते थे, इससे परेशान होकर वादनी अपनी पुत्री के साथ ग्राम हिंगोनिया, तहसील मांगरोल में निवास कर रही है तथा रामरतन के खाते की आराजी में वादनीगण का हक हिस्सा भी बनता है।

7– प्रतिवादी क्रम 2 जो वादीगण का पति/पिता है उसका मंदबुद्धि होने का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण क्रम 1/1 लगायत 1/7 उसके खाते एवं कब्जे की आराजी को नाजायज तरीके से काश्त करने की ऐलानिया धमकी देने लग गये हैं तथा उसके हक एवं हिस्से की भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, जिससे वादीगण का हक एवं हित प्रभावित हो रहा है। वादनी क्रम 1 व 2 प्रतिवादी क्रम 2 की विवाहित पत्नि व पुत्री होने के कारण उनका वैधानिक हक एवं हिस्सा जो मौजूदा कानून के अनुसार बनता है वह अपना खाता पृथक दर्ज करवाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्योंकि प्रतिवादी क्रम 2 मंदबुद्धि होने के कारण उसके खाते में दर्ज होने का फायदा उठाकर कोई भी उक्त भूमि को मुन्तकिल किसी भी तरीके से करवा सकता है अर्थात् रहन, बय, दान, वसीयत करवा सकता है, जिसका अन्य प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ उनके खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर प्रतिवादी क्रम 2 के जीवनकाल में ही अपना हक एवं हिस्सा प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी है।

8– यदि प्रतिवादी क्रम 1/1 लगायत 1/7 द्वारा उक्त भूमि को कहीं रहन, बेचान कर देते हैं तो वादीगण को अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा तथा अत्यधिक असुविधा होगी एवं क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। उक्त विवादित आराजी जो छीतर पुत्र रंगलाल, जाति मीणा निवासी गजनपुरा के खाते में दर्ज है वह स्वर्जित भूमि न होकर पुश्तैनी भूमि है तथा उक्त भूमि छीतरलाल को अपने पिता रंगलाल से विरासत में प्राप्त हुई है तथा उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 मृतक देवकरण व उसके वारिसान व प्रतिवादी क्रम 2 को प्राप्त हुई है, प्रतिवादी क्रम 3 व 4 को छीतरलाल की पुत्री होने के कारण पक्षकार बनाया गया है, परन्तु अनुसूचित जनजाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिकार नियम लागू नहीं होता है तथा कस्टमरी लॉ लागू होता है। उसमें नाता प्रथा होने के कारण मीणा जाति में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं परन्तु उक्त वाद में परफोर्मा पक्षकार छीतरलाल के वारिस होने के कारण बनाया गया है।

9– अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद स्वीकार कर वाके ग्राम गजनपुरा में छीतरलाल पुत्र रंगलाल, जाति मीणा, निवासी गजनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 47

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 515 रकबा 2.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 556 रकबा 1.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 627 रकबा 3.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.51 हेक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 9.95 हेक्टर में से प्रतिवादी कम 2 रामरतन के हिस्से 1/4 में से वादिया कम 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया।

10– प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वादिया कम 2 को अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। तहसीलदार, बारां को निर्देशित किया कि वह उक्त आराजीयात का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । दोनों अपीलों में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.12.2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.01.2022 पारित किया गया है जो रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों के विपरीत व खिलाफ तथा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना जारी की गई है जो काबिले निरस्तनीय है।

11– रेस्पोडेंट कम 1 शिमलाबाई वाद प्रस्तुत करने के पूर्व ही राजाराम मीणा, निवासी नीमखेड़ी के नाता प्रथा से विवाह कर रहने लग गई थी तथा शिमलाबाई व राजाराम के दाम्पत्य से संतान उत्पन्न हो चुकी थी तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट कम 2 रेखा उर्फ लक्ष्मी की जर्ये संरक्षक मॉ शिमलाबाई को बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें नाबालिग का जर्ये वली नियुक्त करने हेतु आदेश 32 नियम 1 व 2 सी पी सी का प्रार्थना पत्र बिना निर्धारित किये गलत रूप से माना गया है, इस

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया, न विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों की पालना की गई है जबकि अनुसूचित जनजाति में हिन्दू उत्तराधिकार के नियम प्रभावी नहीं होते हैं उनके रिति रिवाज (कस्टमरी राईट) अनुसार ही उनके अधिकार तय किये जाते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किये ज़ाने में वैधानिक त्रुटि की गई है।

12– वादपत्र की मद नं. 4 में अपीलांट कम 8 रामरतन को मंदबुद्धि बताया गया है जबकि मंदबुद्धि होने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट कम 1 शिमला बाई का तलाक हो गया था जिसका प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा दिनांक 20.02.2017 को कमांक ग्राम पंचायत/2016–17/179 से जारी किया गया है जिससे स्पष्ट रूप से शिमलाबाई पुत्री राधेश्याम जाति मीणा, निवासी हिंगोनिया द्वारा 13 वर्ष पूर्व ग्राम गजनपुरा, निवासी रामरतन पुत्र छीतरलाल मीणा के साथ विवाह किया था जो 10 वर्ष पूर्व इनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया इसके बाद शिमलाबाई ने राजाराम मीणा, निवासी नीमखेड़ी ग्राम पंचायत माल्याखेड़ी से जो पुलिस कानि0 है के साथ नाता विवाह कर लिया तथा वर्तमान में भी उसी के साथ निवास कर रही है, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया ।

13– अपीलांट कम 8 रामरतन द्वारा अपने भाई देवकरण के पुत्र नरेश को सामाजिक रितिरिवाज अनुसार गोद रख लिया है जो वर्तमान में रामरतन के साथ निवासी कर रहा है तथा रामरतन की अवेर–सवेर देखभाल करता है, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। तनकी नं. 1 वादी व तनकी नं. 2 व 3 प्रतिवादी को साबित करनी थी, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 का निर्णय पारित करते समय उक्त

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजियात पैतृक होने व पुत्री अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी मानकर वादी के पक्ष में निर्णित की गई है जबकि तनकी नं. 2 व 3 भी वादी के पक्ष में निर्णित की गई है।

14– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकियों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन न करके मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री में सहखातेदारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

15– कोविड 19 के तहत माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 31.01.2022 तक किसी भी प्रकार का विपरीत निर्णय (कन्ट्रावर्सी) पारित नहीं किये जाने की गाईड लाईन जारी की गई थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री यह कहते हुए जारी की गई कि पत्रावली पेश हुई । वकुलाय फरीकेन उपस्थित । प्रतिवादी क्रम 1/1 से 1/5 की ओर से श्री ओमप्रकाश मेहता ।। एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुई, तहसील बारां से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त, प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वकील डिक्रीदार संतुष्ट है

16– मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम गजनपुरा, तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन निम्न प्रकार पारित किया जाता है – खसरा नम्बर 515 रकबा 1.24 हेक्टर नाबालिग रेखा उर्फ लक्ष्मी पत्री रामरतन को दिया गया है तथा प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 515 रकबा 1.24 हेक्टर को छोड़कर शेष 12 किता रकबा 8.71 हेक्टर संयुक्त रूप से दिया गया है जो नियम

डॉ० अनुपमा टेलरे
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

18 से 21 की पालना किये बिना अंतिम डिक्री पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

17– दिनांक 21.01.2022 को प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव पर सुनवायी का अवसर दिये जाने बाबत यह कहकर निस्तारित किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बारां द्वारा उनके पत्र कमांक राजस्व/2021/26 दिनांक 10.01.2022 से प्राप्त हुआ था विभाजन प्रस्ताव होने के 10 दिन बाद पत्रावली में तारीख नियत थी। वकालत नामा दिनांक 20.01.2022 को पेश किया गया इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया गया है।

18– माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की गाईड लाईनों के मुताबिक दिनांक 31.01.2022 तक किसी भी प्रकार का विरोधाभासी आदेश पारित नहीं किये जाने हेतु सर्कुलर जारी किया हुआ था उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा राजनैतिक प्रभाव से निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.01.2022 को पारित की गई है जबकि दिनांक 18.01.2022 को जनरल तारीख 08.03.2022, 19.01.2022 को बुधवार होने से न्यायालय में पेशियां नहीं दी जाती है इसके बाद दिनांक 21.01.2022 को जनरल तारीख 11.03.2022, 24.01.2022 को जनरल तारीख 14.02.2022, इसी प्रकार दिनांक 25.01.2022 को 15.03.2022 जनरल तारीख 26.01.2022 का अवकाश दिनांक27.01.2022 को जनरल तारीख 31.02.2022, 28.01.2022 को जनरल तारीख 18.02.2022, 29 व 30.01.2022 को अवकाश दिनांक 31.01.2022 को जनरल तारीख दिनांक 04.04.2022 दी गई है

19– इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व धारणा से ग्रसित मानसिकता अनुसार दिनांक 20.01.2022 को ही अलग अलग पेशियां दी गई व दिनांक 20.01.2022 को ही अंतिम डिक्री पारित की गई है

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जो स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.12.2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.01.2022 निरस्त की जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि नियम 18 से 21 की पालना अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर विधिवत रूप से पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

20— अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.02.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

21— अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

22— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद ग्राम गजनपुरा तहसील एवं जिला बारां की आराजी खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 40 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

515 रकबा 2.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 556 रकबा 1.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 627 रकबा 3.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.51 हेक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 9.95 हेक्टर भूमि में अपीलांट कम 8 रामरतन के 1/4 हिस्से में से रेस्पेडेंट कम 2 रेखा उर्फ लक्ष्मी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने के लिये अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का वाद प्रस्तुत किया गया था।

23– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का वाद विरूद्ध अपीलांट स्वीकार करते हुए दिनांक 17.12.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई, तथा तहसीलदार बारां को निर्देशित किया गया कि उक्त आराजीयात का पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाया जावे, उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा आराजी के विभाजन की रिपोर्ट तथ्यारकर दिनांक 20.01.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2022 को फाईनल डिक्री पारित कर दी गई, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील पेश की गई।

24– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2022 कानून के तथ्यों के विपरीत जाकर पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.12.2021 की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन की पालना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है, बल्कि पटवारी से तैयार करवायी गयी है, आराजी के विभाजन की रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में अपीलांट को किसी प्रकार का न तो कोई नोटिस दिया गया है, न ही मौके पर जाकर सूचना दी गई है और न ही उनकी सहमति या आपत्ति ली गई है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

25– तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है और न ही नियम 20 की (ग) के अनुसार आराजी का विभाजन जहां तक संभव को किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तक कोटि की भूमि में से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार है :– आर.आर.डी. 2002 पेज 70, आर.आर.डी. 2003 पेज 193, आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1318, आर.आर.टी. 2022(1) पेज 61, आर.आर.टी. 2022(1) पेज 338 प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 20.01.2022 की नकल लेने के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी नकल दिनांक 17.02.2022 को प्राप्त होने पर अपील दिनांक 22.03.2022 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है, उक्त अपील पेश करने में जानबूझ कर देरी नहीं की गई है, अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार मियाद के तकनीकी आधार पर किसी प्रकार के न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है।

- 26– अपीलीय न्यायालय को मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज नहीं कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1104 प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 20.01.2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के विपरीत जाकर पारित की गई है जो कानून के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खारिज की जाकर अपील स्वीकार फरमायी जावे, तथा अपील अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित की जावे कि आराजी के विभाजन की पालना रिपोर्ट सभी पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से तैयार की जाकर पुनः निर्णय पारित करें एवं अपने पक्ष के समर्थन में नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई–

- आर आर डी 2003 पेज 193,
- आर आर टी 2017 (2) पेज 1104,
- आर आर टी 2021 (2) पेज 1318,
- आर आर टी 2022(1) पेज 61,
- आर आर टी 2022(1) पेज 136,
- आर आर टी 2022 (1) पेज 338

27– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रारम्भि डिक्री दिनांक 17.12.2021 व अंतिम डिक्री दिनांक 20.01.2022 के विरूद्ध पेश की गई है ।

28– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा घोषणा व बंअवारे का दावा प्रस्तुत किया गया था कि विवादित भूमि स्वर्गीय छीतरलाल की थी जिसके दो पुत्र देवकरण व रामरतन व दो पुत्रियां कान्तिबाई व मनभर बाई थी, जिसमें रामरतन प्रतिवादी कम 2 की पुत्री वादी कम 2 और रेस्पोडेंट कम 2 रेखा उर्फ लक्ष्मी के पक्ष में दावा स्वीकार कर रामरतन के हिस्से में से 1/2 हिस्सा रामरतन की

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नाबालिग पुत्रियों को खातेदार घोषित किया गया है अन्य अपीलांट से रेखा के हक हिस्से का कोई विवाद नहीं है।

29– अधीनस्थ न्यायालय में रामरतन रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को अपने हक व हिस्से की भूमि देना स्वीकार किया है। जिसके संबंध में रामरतन के अलावा देवकरण के वारिसान को हिस्से बाबत दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि रेखा उर्फ लक्ष्मी रामरतन की नाबालिक पुत्री है जो पुराने कस्टमरी कानून के तहत अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा रामरतन के कोई पुत्र भी नहीं है।

30– देवकरण के वारिसान अपीलांट 1 लगायत 7 अपीलांट रामरतन के मन्दबुद्धि होने से उसके हस्ताक्षर भी गलत रूप से फर्जी अपील व वकालतनामे पर करवा रखे हैं जबकि रामरतन द्वारा कोई अपील नहीं की गई है जिसने अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट कम 2 को अपने हक हिस्से की जमीन देना स्वीकार किया है। रामरतन के कोई पुत्र पुरूष वारिस नहीं होने से रेखा उर्फ लक्ष्मी का हक अधिकार पुराने कस्टमरी कानून के अनुसार बनता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिल्कुल कानून सम्मत प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है जिसके संबंध में कोई आपत्ति ऐतराज अपीलांट को करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि वास्तविक स्थिति है कि रामरतन मन्दबुद्धि है। जिसका फायदा उठाकर अन्य अपीलांट रामरतन की जमीन को अन्य लोगों को खुर्द बुर्द करने पर आमादा रहते हैं। जिसके इकरारनामा भी प्रस्तुत किये गये हैं। और मामले को लटकाकर रामरतन के हिस्से को खुर्द बुर्द की कोशिश कर रहे हैं।

31– प्रारम्भिक डिक्री की शुरू से ही अपीलांट को पूर्ण रूप से जानकारी होने से अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश की गई जो कि

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किसी भी तरीके से अन्दर मियाद मानी जानी योग्य नहीं है अर्थात् उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील खारिज फरमायी जावे।

32–अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव मौके पर भूमि का विभाजन अलग अलग कब्जा होने के आधार पर किया गया है। उक्त भूमि का मौके पर बंटवारा लगभग 35–40 अर्सा पूर्व से मौके पर अपीलांट व रेस्पोडेंट अलग अलग काश्त कर रहे हैं।

33– दिनांक 9.7.2003 को मकान जमीन का बंटवारा बाबत ग्राम में गांववासियों के समक्ष स्वर्गीय छीतरलाल पुत्र रंगलाल मीणा, निवासी गजनपुरा द्वारा किया गया था जो अपीलांट 1 लगायत 7 के दादा व दादी, ससुर व अपीलांट क्रम 8 के पिता एवं रेस्पोडेंट क्रम 2 के दादा द्वारा बंटवारे की तहरीर लिखी गई थी, जिसके द्वारा यह लिखा गया था कि मेरे खाते की जमीन मेरे दोनों पुत्र देवकेरण व रामरतन को 1/2 करके अपने हिस्से की जमीन दे चुका हूँ जो इस प्रकार देवकरण के हिस्से में मोग्या वाला खेत मंदारिया वाली टुकडी और गांव का मकान और पूरा खलियान सांगोद रोड़ के पास का जाडिया रोड़ के पास वाला यह हिस्सा देवकरण का है।

34– रामरतन के हिस्से माली वाला खेत जडिया तेजाजी के सामने वाली व बाडी महादेव जी मकान वाली पूरा रामरतन के हिस्से की है और वाकी जमीन खुद छीतरलाल के हिस्से में रहेगी।

35– खसरा नम्बर 515 की 1.24 हेक्टर जो भूमि रेस्पोडेंट क्रम 2 के नाम विभाजन कर खाते दर्ज करने की अंतिम डिक्री पारित की गई है वह खेत रामरतन को अपने पिता के जीवनकाल से ही अर्थात् रेस्पोडेंट क्रम 2 के दादा द्वारा बंटवारा करके ही दे रखा था जिस पर कब्जा स्वर्गीय छीतरलाल के समय से ही रेस्पोडेंट क्रम 2 के पिता रामरतन का चला आ रहा है जिसका विभाजन मौके पर हो रहा था जिसकी

श्रीमती अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विभाजन की लिखापढी भी है। अगर मौके पर पूर्व में विभाजन हो रहा है तो उसे पक्षकार मानने को बाध्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 20.01.2022 को पारित की गई है।

36– जिस तारीख को अपीलांट के अधिवक्ता अर्थात् प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश मेहता उपस्थित थे जिनके द्वारा विभाजन प्रस्ताव किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं की गई तथा माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित सिद्धांत है कि विभाजन की डिक्री से समय किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पक्षकारान द्वारा अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा लिखित अथवा मौखिक नहीं की गई है तो उनको बाद में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है तथा अपीलांट द्वारा लिखित बहस में जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं वह उसी प्रकरण पर लागू होते हैं जिस पर मौके पर पूर्व में कोई बंटवारा नहीं हो रहा है एवं अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति करने पर आपत्ति खारिज की गई है, इसके बाद ही अपीलांट अपील विभाजन प्रस्ताव के तहत अंतिम डिक्री पारित करने के अधिकारी होते हैं जिसकी जमीन को अपीलांट जबरदस्ती खुर्द बुर्द करने के लिए जोर शोर से प्रयासरत है तथा अपीलांट गलत रूप से माननीय न्यायालय में गलत तथ्य बताकर प्रकरण को लटकाये रखकर सम्पत्ति के हित का दुरूपयोग कर रहे हैं तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री की भी खारिज किये जाने योग्य है। विभाजन की पूर्व में जो हो रही थी वह समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में प्रस्तुत है।

37– अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर रेस्पोडेंट की लिखित बहस अनुसार अपील खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

38– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3 व 4 द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2022 को पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि के तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत जाकर पारित की गई है। उक्त निर्णय एवं डिक्री में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय इस बात को भी अनदेखा किया गया है कि कुल 12 खसरे/खाते में से केवल 1 खसरे में 1/2 का विभाजन किया गया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि समस्त खसरे/खाते में से अच्छा से अच्छा एवं बुरे से बुरा होना चाहिए। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री एवं निर्णय को अपास्त किया जावे।

39– हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

40– अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

41– **पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बरान का पूर्ण रूप से विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अतः समस्त खातेदारान को अविभाजित भूमि पर प्रत्येक खसरे एवं हिस्से में हिस्सा रहता है। अतः उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा पारित आदेश हम विधि सम्मत नहीं समझते हैं।**

42– उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 37/2022 एवं 38/2022 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.12.2021 व अंतिम डिक्री दिनांक 20.01.2022 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है **कि समस्त पक्षकारान को सम्मन नोटिस से तामील करवाकर तथा पत्रावली में प्रस्तुत प्रत्येक प्रार्थना पत्र/दावा/जवाबदावा/विशेष आपत्तियों/गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय दो माह में प्रकरण का विधि सम्मत नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें** । उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.08.2023 को उपस्थित होवें ।

43– निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा